संख्या-62/2018/2549 ई-2/तेरह-2018-03/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 03 अगस्त,2018

विषय:-जनपद लखनऊ के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-1202/जि0आ0अधि0/बार-अनु0/2018-19/लखनऊ, दिनांक 22 जून,2018 तथा पत्र संख्या-1315/जि0आ0अधि0/बार-अनु0/2018-19/लखनऊ, दिनांक 30 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 11-6-2018 तथा 22-6-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के क्रमश: पत्र संख्या-जी-66/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/होटल रणवीर/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई,2018 तथा पत्र संख्या-जी-71/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/दि फ्लाइंग सासर/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 14 जुलाई,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त (1) होटल रणबीर (ए यूनिट आफ मेसर्स सुमनलता हास्पी0 प्रा0लि0, सीपी-125, विराजखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को वर्ष 2018-19 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन तथा (2) द फ्लाइंग सासर कैफे रेस्टोरेन्ट (ए यूनिट आफ क्रेडेन्स हास्पीटैलिटी एल0एल0पी0), जी0एफ0 14-18, रोहतास रेजीडेंसियल आर्केड, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त दोनों होटल/रेस्टोरेन्ट्स में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा तथा पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन व वैले पार्किंग की भी व्यवस्था करेंगे तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-62/2018/2549(1)ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-66/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/होटल रणवीर/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई,2018 तथा पत्र संख्या-जी-71/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/दि फ्लाइंग सासर/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 14 जुलाई,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।